कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर हनुमानगढ

प्रकरण संख्या 31/2018 सूचना के अधिकार के अन्तर्गत

श्री सुरेश कुमार भुंवाल पुत्र श्री हरिशचन्द्र जाति जाट निवासी 36 एल एल डब्लयू ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
----अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उप तहसीलदार गोलूवाला
----प्रत्यार्थी

दिनांकः-15.06.2018

आदेश

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं उपतहसीलदार गोलूवाला के विरूद्ध प्राप्त हुई।

अपील में अंकित तथ्यो के अनुसार अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 15.03.2018 को उपतहसीलदार राजस्व गोलूवाला से सूचना प्राप्त करने के लिए प्रेषित किया था। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नही करवायी गई। प्रत्यर्थी द्वारा पत्रांक 164 दिनांक 19.04.2018 को यह लिखकर दिया कि यह रिकार्ड कार्यालय को अन्तरित रिकार्ड है जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत देय नही है। अपीलार्थी द्वारा मांगी गई सूचना व्यक्तिगत रिकार्ड नही है मात्र लोक दस्तावेज है। अपीलार्थी को सूचना निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावें।

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 3105.2018 एवं दिनांक 14.06.2018 को उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश किये। उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो के अनुसार उपतहसीलदार गोलूवाला को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया था उपतहसीलदार गोलूवाला द्वारा वांछित सूचना जानबूझ कर सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गई है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को परेशान करने की गर्ज से विलम्ब किया जा रहा है। अपीलार्थी को सूचना अविलम्ब उपलब्ध करवाई जावे।

उपतहसीलदार (भू.अ.) गोलूवाला से प्राप्त पत्र कमांक 291 दिनांक 13.6.18 के अनुसार अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 15.03.2018 के बिन्दु संख्या 2 की सूचना डाक द्वारा आवेदन के निवास स्थान के पते पर भिजवा दी गई है। आवेदन पत्र के बिन्दु सं0 1 के संबंध में पत्र कमांक 208 दिनांक 16.5.2018 द्वारा निवेदन किया गया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official